25.5.5

25/5/22 वकील प्रार्थीगण उपस्थित। तहसीलदार पहाड़ी उपस्थित। तहसीलदार पहाड़ी जवाब प्रार्थनापत्र पेश करना नहीं चाहते है। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र मे दर्ज तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रकरण मे तारीख पेशी 21/2/22 नीयत थी। उस दिन प्रार्थीगण न्यायालय श्रीमान मे उपस्थित नहीं हो सके एवं वकील साहब अन्य कार्यो मे व्यस्त होने की वजह से उक्त प्रकरण मे पैरवी नहीं कर सके। इस कारण वादीगण का दावा अदमहाजिरी एवं अदमपैरवी मे खारिज कर दिया था। उक्त वाद की जानकारी दि० 24/3/22 को नकल लेने पर हुई। अतः आदेश दि० 21/2/22 को अपास्त करते हुए वाद पत्र को पुनः नम्बर पर

लिया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाने की कृपा करें।

तहसीलदार पहाड़ी को प्रार्थनापत्र के संबंध मे कोई आपत्ति नही है। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 9 जा० दी० दि० 29/3/22 को न्यायालय मे पेश किया है। प्रार्थीगण द्वारा की गयी भूल माफ की जाकर समयसीमा को कंडोन करते हुए आदेश दि० 21/2/22 को न्यायहित मे अपास्त करते हुए दावे को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

अहकाम
हुक्म की
जारी

25/3/